संख्या-14/2016/885/26-2-2016-100(69)/2002

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में किये गये प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1725/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0 /2016-17, दिनांक 01.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-80 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु बजट प्राविधान की धनराशि रू0 1140.00 करोड़ (रू0 ग्यारह अरब चालीस करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वीकृति की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
2. प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से केन्द्रांश प्राप्त की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231 /2016, दिनांक 22.03.2016 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. बजट अधिकारियों द्वारा बी0एम0-13 पर नियमित रूप से व्यय विवरण समाज कल्याण अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के साथ-साथ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।

6. स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-आयोजनागत-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-0501-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1- 746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0 संख्या- 14/2016/885(1)/26-2-2016 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग-3
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।
10. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नीरजा कुरील
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।